कार्यालय

कृषि उत्पादन आयुक्त,उत्तर प्रदेश शासन
कक्ष संख्या–10 बहुखण्डी भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
दूरभाष–0522–2238145, ई–मेल–apcofficeup@gmail.com

संख्या–286 /पीएस/एपीसी/2023
दिनांक–24.03.2023

निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश ।

कृपया अपने पत्र संख्या–विप0–1/(336)/2023–84, दिनांक 13.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा यदि प्रदेश के बाहर के किसी व्यापारी के द्वारा ई–नाम पर बोली लगाकर कय किया जाता है तो यह कय उस मण्डी समिति क्षेत्र की मानी जाएगी। जिसके ई–नाम पर बिड निर्मित किया गया है (नीलामकर्ता मण्डी समिति) तथा इस प्रकार के कय पर ई–नाम के माध्यम से मण्डी शुल्क, विकास सेस एवं किसान को उसके उत्पाद के मूल्य का भुगतान ऑनलाईन किया जाएगा।

प्रदेश में आलू विकय हेतु कृषकों को eNAM (नेशलन एग्रीकल्चर मार्केट) पोर्टल के द्वारा आलू विकय को आसान किया जा रहा है। जिसका अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है तथा अभी तक 6 करोड़ रूपये के आलू eNAM से कय किये जा चुके हैं। भुगतानोपरान्त सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा उत्पाद परिवहन हेतु विशेष चालान जारी किया जाएगा।

उपरोक्त सुविधा दिनांक 31.03.2023 तक के लिए प्रदान की गई है। इसे बढ़ाकर दिनांक 31.05.2023 तक किया जाए।

Manoj
24.3.23
(मनोज कुमार सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त।